कार्यालय अंचल अधिकारी देवरी।

केश संख्या : 124/19-20
केश का प्रकार :- निबंधन

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
29.11.19	सलीम अंसारी पिता स्व0 सोमराती मियाँ साकिन डहुवाटॉड थाना देवरी जिला गिरिडीह के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर मौजा डहुवाटॉड खाता नं0 24 प्लॉट नं0 62 रकवा 7डी0 उक्त भूमि पर वर्तमान में सलीम अंसारी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसे बहादुर मियाँ एवं उनके परिवार के सभी सदस्यगण बलपूर्वक प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। प्राप्त आवेदन पत्र पर हल्का राजस्व कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। इस संबंध में उभय पक्षो को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिंनाक 05/12/19 को रखें। (हस्ताक्षर) 29.11.19 अंचल अधिकारी, देवरी।	
5/12/19	अभिलेख उपस्थापित किया गया। अन्य कार्य में व्यस्त अभिलेख दिनांक 28/12/19 को रखें। अं०अ०	
28/12/19	अभिलेख उपस्थापित किया गया। अन्य कार्य में व्यस्त अभिलेख दिनांक 16/1/20 को रखें। अं०अ०	
16.01.2020	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। उभय पक्ष 23.1.2020 को साक्ष्य के साथ उपस्थित हों। (हस्ताक्षर) 16.01.2020	(हस्ताक्षर) 16/01/20
23.1.2020	अपरिहार्य कारण से न्यायालय कार्य स्थगित। 27.1.2020 को रखें। (हस्ताक्षर) 23.1.2020	
27.01.2020	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष द्वारा केवाला सं० 4844 दिनांक 29.11.04 प्रस्तुत किया गया।	

आदेश

विविवाद सं० – 114/2019-20

प्रश्नगत भूमि – हल्का 1, ग्राम – उडुवाखंड, खाता नं०-24, प्लॉट नं०-62, रकबा – 7 डी०

प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष बहादुर ~~सिंह~~ मियाँ तथा मंसुर मियाँ पिता स्व० हरखु मियां द्वारा निष्पादित केवाला सं० 4844 दिनांक 29.11.2004 प्रस्तुत किया गया।

द्वितीय पक्ष के द्वारा हरखु मियां के नाम से पंजी II की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया। खाता सं० अपठनीय है। पंजी II में 1955-56 से लगान रसीद निर्गत ~~[illegible]~~ हो रहा है।

राजस्व ~~[illegible]~~ उपनिरीक्षक ने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि केवाला में खाता सं० गलत दर्ज है, क्योंकि ग्राम-उडुवाखंड के खाता सं० 24 गैरमजरूआ खास खाता की भूमि है जिसके अंतर्गत प्लॉट सं० 62 नहीं है, लेकिन बिक्री प्लॉट एवं चौहद्दी सही है तथा प्रथम पक्ष-सलीम अंसारी चौहद्दी के अन्तर्गत जमीन पर घर बना रहा है, जबकि विक्रेतागण ही अपने द्वारा बेचे गये जमीन पर प्रथम पक्ष को मकान बनाने से रोक रहा है।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, राजस्व उपनिरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार स्वयं द्वारा बेचे गये जमीन पर क्रेता को मकान बनाने से रोकना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। साथ-ही द्वितीय पक्ष द्वारा गलत खाता एवं प्लॉट दर्ज कर जालसाजी किये ~~जाने~~ जाना प्रतित होता है। प्रथम पक्ष यदि उचित समझे तो इस संबंध में न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

अतः वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

ह०
.1.2020
अंचल अधिकारी
देवरी।

CR-15/4-20
14/1/20